संक्षिप्त

रोडवेज बसों के बाईपास से निकलने का विरोध

टोंक, (निस.)। अलीगढ थाना क्षैत्र के ग्राम चोरू में रोडवेज बसों के बाईपास से निकलने के विरोध में ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 116 पर विरोध प्रदर्शन कर सडक जाम कर दिया। जिसके कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं तथा यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि रोडवेज बसों के कस्बे के अंदर नहीं आने से स्थानीय यात्रियों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। इस समस्या के समाधान के लिए ग्रामीणों ने पहले भी कई बार प्रशासन से गुहार लगाई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर उपखंड अधिकारी (एसडीएम) तक ज्ञापन सौंपे गए थे, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। समाधान नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने गुरूवा को एनएच-116 पर पूर्ण चक्का जाम करने का अल्टीमेटम दिया था। प्रशासन द्वारा मांगें पूरी नहीं किए जाने के बाद जाम लगा दिया गया है। सूचना मिलने पर अलीगढ़ पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे हैं। वे प्रदर्शनकारी ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास कर रहे हैं ताकि सड़क से जाम हटाया जा सके और यातायात सामान्य हो सके।

विकास कार्यों का निरीक्षण

अलवर। जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने आज फील्ड निरीक्षण कर दिवाकरी में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व ग्राम सिरमौली में आईटीआई के प्रगतिरत कार्य, ग्राम चाँदोली में एनिकट पुनरूद्धार कार्य एवं उमरैण में निर्माणाधीन खेल मैदान कार्य का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। जिला कलक्टर ने ग्राम सिरमौली में आईटीआई के प्रगतिरत कार्य का निरीक्षण कर निर्देश दिये कि जुलाई माह में कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें एवं इंटर्नल सड़के भी साथ-साथ बनवाये तथा रुफ टॉप सोलर पैनल के प्रस्ताव तैयार कर लगवाने की कार्यवाही करें। उन्होंने दिवाकरी में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्रगतिरत कार्यों को का निरीक्षण कर कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित पैरामीटर्स के अनुरूप समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने उमरैण में निर्माणाधीन खेल मैदान कार्य का निरीक्षण कर कहा कि खेल मैदान को खिलाडियों की सुविधा के अनुरूप समयबद्ध रूप से विकसित करावें।

4 घंटे बंद रहेगी बिजली

निवाई, (निस.)। विद्युत लाईन के रख-रखाव एवं मरम्मत कार्य के चलते शुक्रवार को 4 घंटे बिजली बंद रहेगी। विभाग के कनिष्ठ अभियंता लक्की गोठवाल ने बताया कि विद्युत लाईन के रख-रखाव एवं मरम्मत कार्य के चलते जमात, शिवाजी कॉलोनी, वनस्थली मोड़, महाराजपुरा, गणगौरी बाजार, चौहट्टी बाजार, मायला बाग, एफसीआई रोड़, विकास कॉलोनी, हाड़ावाली ढाणी, व चैनपुरा के आस पास के क्षेत्र में सुबह 08 से दोपहर 12 तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी।

कोटपूतली नगर परिषद का स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोक कल्याण मेला आयोजित

शिविर में अभियान के अंतर्गत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को योजना का लाभ प्रदान किया।

कोटपूतली, (निस.)। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना विशेष अभियान के तहत कोटपूतली नगर परिषद द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स एवं रेहड़ी-पटरी संचालकों के लिए विशेष शिविरों के माध्यम से लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र वेंडर्स को योजना का लाभ प्रदान कर उनके स्वरोजगार को सशक्त बनाना तथा उनकी आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना है। यह विशेष अभियान 30 जून 2026 तक संचालित किया जाएगा।

नगर परिषद प्रशासन द्वारा आयोजित इस अभियान के अंतर्गत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जोड़ते हुए ऋण सुविधा, डिजिटल लेन-देन प्रोत्साहन एवं अन्य लाभ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शिविरों में पात्र लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त कर उन्हें योजनाओं से लाभान्वित करने की प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाया गया है। नगर परिषद प्रशासन ने बताया कि योजना के माध्यम से छोटे व्यवसाय करने वाले वेंडर्स को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। विशेष अभियान के दौरान अधिकाधिक पात्र वेंडर्स को योजना से जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता एवं पंजीकरण कार्य भी किया जा रहा है।

नगर परिषद ने सभी पात्र स्ट्रीट वेंडर्स एवं रेहड़ी-पटरी संचालकों से अपील की है कि वे 30 जून तक आयोजित विशेष शिविरों में भाग लेकर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ प्राप्त करें तथा अपने व्यवसाय एवं आजीविका को नई मजबूती प्रदान करें। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना विशेष अभियान के अंतर्गत कोटपूतली नगर परिषद द्वारा लोक कल्याण मेले के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को योजना का लाभ प्रदान कर उनके स्वरोजगार को सशक्त बनाने तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशानुसार भारत सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत नगर परिषद कोटपूतली द्वारा नगर परिषद कार्यालय में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यालय अवकाश को छोड़कर शिविर प्रतिदिन संचालित किए जा रहे हैं।नगर परिषद के प्रभारी (एनयूएलएम) अभिषेक सैनी ने बताया कि योजना के अंतर्गत छोटे व्यवसाय करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स एवं रेहड़ी-पटरी संचालकों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से 15 हजार, 25 हजार एवं 50 हजार रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पात्र लाभार्थियों को ब्याज में छूट की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के पात्र वेंडर्स योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक लाभार्थियों को आवेदन हेतु आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ शिविर में उपस्थित होना होगा। शिविर का अधिकतम लाभ उठाकर अपने स्वरोजगार को मजबूत बनाएं तथा अपनी आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करें।

■ अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र वेंडर्स को योजना का लाभ प्रदान कर उनके स्वरोजगार को सशक्त बनाना तथा उनकी आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना है

निवाई में प्रवचन माला का शुभारंभ

निवाई, (निस.)। श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन अग्रवाल मंदिर में संचालित ग्रीष्मकालीन प्रवास पर उपाध्याय विकसंत सागर महाराज संघ के सानिध्य में सकल दिगम्बर जैन समाज द्वारा प्रवचन माला का दीप प्रज्वलन करके शुभारंभ किया गया, जिसमें दीप प्रज्वलन एवं भगवान का चित्र अनावरण करने का सौभाग्य नीरज जैन माधोराजपुरा, नन्दलाल चौधरी, विमल पाटनी एवं मोहनलाल चंवरिया को मिला। प्रवचन माला का मंगलाचरण चेतन जैन ने किया। जैन समाज के प्रवक्ता सुनील भाणजा एवं विमल जौंला ने बताया कि उपाध्याय विकसंत सागर महाराज की दैनिक चर्या सुबह स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, प्रवचन, आहार चर्या, दोपहर में स्वाध्याय, सामायिक, सांयकाल आनन्द यात्रा, गुरु भक्ति, शंका समाधान एवं आरती का आयोजन किया गया। उपाध्याय विकसंत सागर महाराज ने कहा कि लक्ष्य हासिल करना है, तो सही उपाय करना होगा। सही मार्ग तभी तय होगा, जब हमारा उद्देश्य सही दिशा में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि मन को वश में कर लिया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। मन को वश में कर लेने से हमारे सारे कार्यों की सिद्धि हो जाएगी।

फुलेरा जंक्शन की समस्याओं के समाधान की मांग, एडीआरएम को ज्ञापन सौंपा

फुलेरा। दैनिक रेल यात्री संघ एकीकृत का एक प्रतिनिधिमंडल फुलेरा जंक्शन पर यात्रियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर अपर मंडल रेल प्रबंधक (एडीआरएम) अशफाक हुसैन अंसारी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने जंक्शन पर यात्रियों को हो रही परेशानियों से अवगत कराते हुए शीघ्र समाधान की मांग की। संघ अध्यक्ष अशोक वासदेव ने बताया कि प्लेटफार्म नंबर-1 पर लगाए गए कोच इंडिकेटर बॉक्स लंबे समय से बंद पड़े हैं, जिससे यात्रियों को ट्रेन के कोच की स्थिति जानने में परेशानी होती है। विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा प्लेटफार्म नंबर-1 पर शौचालय सुविधा के अभाव से भी यात्रियों को परेशानी हो रही है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि प्लेटफार्म नंबर-1 पर वेटिंग हॉल का निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद अभी तक यात्रियों के लिए शुरू नहीं किया गया है। वहीं प्लेटफार्म पर पर्याप्त शेड नहीं होने से बारिश के दौरान यात्रियों को खुले में इंतजार करना पड़ता है।संघ ने अमृत भारत योजना के तहत फुलेरा जंक्शन पर चल रहे फुट ओवरब्रिज (पुलिया) निर्माण कार्य के लंबे समय से बंद होने तथा न्यू कॉलोनी और श्रीराम नगर के मध्य बन रहे अंडरपास का कार्य भी रुका होने का मुद्दा उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि आगामी बारिश के मौसम को देखते हुए इन कार्यों को शीघ्र शुरू कराया जाना आवश्यक है, ताकि आमजन को राहत मिल सके। एडीआरएम अशफाक हुसैन अंसारी ने प्रतिनिधिमंडल की ओर से उठाए गए सभी मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इस पर प्रतिनिधिमंडल ने उनका आभार व्यक्त किया।

■ वेटिंग हॉल का निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद अभी तक यात्रियों के लिए शुरू नहीं किया

दैनिक रेल यात्री संघ एकीकृत के प्रतिनिधिमंडल ने एडीआरएम को ज्ञापन सौंपा।

कुजोता में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की मांग

कोटपूतली, (निस.)। निकटवर्ती ग्राम कुजोता में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की मांग की गई हैं। स्थानीय ग्रामीण श्रीराम सराधना ने बताया कि गांव में पीएचसी नहीं होने के कारण ग्रामीणो को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीमार होने पर ग्रामीणों को ईलाज के लिये 15 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। यह क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ लगातार इंडस्ट्रियल एरिया और माईनिंग (खनन) का कार्य चलता रहता है। इस वजह से यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता और भी अधिक हो जाती है।

'यातायात नियमों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य'

कोटपूतली, (निस.)। जिला पुलिस द्वारा वाहन चालकों के लिये विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। जिसके तहत 01 से 30 जून तक एक महीने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना है।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आपकी सुरक्षा, हमारा संकल्प के तहत किसी भी प्रकार के नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। अभियान को लेकर पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यह कार्यवाही केवल सामान्य चालान तक सीमित नहीं रहेगी। नियमों का गंभीर उल्लंघन पाये जाने पर मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) के तहत भारी आर्थिक दंड (जुर्माना) वसूलने के साथ-साथ वाहनों को सीज भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बार-बार नियम तोड़ने वाले चालकों के ड्राईविंग लाइसेंस भी निलंबित किये जा सकते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने जिले के सभी वाहन स्वामियों और चालकों से जिम्मेदार नागरिक बनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। वाहनों में अवैध बदलाव और काली फिल्म जैसी गतिविधियां ना केवल नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिहाज से भी एक बड़ी चुनौती हैं। सभी वाहन मालिक स्वैच्छा से नियमों का पालन सुनिश्चित करें और अपने वाहनों से तत्काल काली फिल्म, प्रेशर हॉर्न और अनाधिकृत बत्तियां हटा लें, अन्यथा पुलिस विभाग इस पूरे महीने बेहद सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लायेगा। उन्होंने आमजन से भी आग्रह किया है कि वे यातायात नियमों को बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं और अवांछित गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।अभियान के तहत पुलिस मुख्य रूप से चार प्रकार के अवैध मॉडिफिकेशन के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगी। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले प्रेशर हॉर्न का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों के विरुद्ध या फैंसी नंबर प्लेट लगाने वालों पर कार्यवाही होगी। केवल नियमित और स्पष्ट नंबर प्लेट ही मान्य होंगी।

■ पुलिस प्रशासन ने संदेश दिया कि 'आपकी सुरक्षा, हमारा संकल्प' के तहत किसी भी प्रकार के नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा

अनियंत्रित ट्रेलर ने रेलिंग और बिजली का पोल तोड़ा, हादसा टला

पावटा। जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित पावटा मुख्य बस स्टैंड पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। चित्तौड़गढ़ से ग्रासिम सीमेंट फैक्ट्री चौकी गोरधनपुरा की ओर जा रहा एक ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर राजमार्ग के बीच लगी रेलिंग और बिजली के पोल को तोड़ते हुए सड़क के दूसरी तरफ जा पहुंचा। ट्रेलर का टायर फटने के बाद वह बीच सड़क पर जाकर रुक गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर जैसे ही डिवाइडर और रेलिंग तोड़कर दूसरी लेन की ओर बढ़ा, बस स्टैंड क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। अचानक ट्रेलर को अपनी ओर आता देख वहां मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। कुछ देर के लिए पूरे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बन गई।

पौधारोपण आज

निवाई, (निस.)। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान संकल्प दिवस पर शुक्रवार को भाजपा शहर मंडल के तत्वावधान में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

'युवाओं की क्षमता अनुसार कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायेंगे'

भरतपुर, (निस)। कौशल विकास एवं रोजगार के क्षेत्र में भरतपुर को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल करते हुए स्किल डवलपमेंट फॉर यू कार्यक्रम के तहत स्थानीय जरूरतों, युवाओं की क्षमता व हॉबी के अनुसार कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायेगें। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यिमता मंत्रालय द्वारा इसके लिए युवाओं को अलग-अलग विद्याओं में प्रशिक्षित करने के साथ रोजगार के लिए कैरियर कॉउसलिंग भी की जायेगी।

कौशल विकास मंत्रालय भारत सरकार के एडवाईजर सेवानिवृत आईएएस डॉ. आईवी सुब्बाराव ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन के साथ बैठक कर कौशल विकास एवं रोजगार की वर्तमान स्थिति के बारे में फीडबैक लिया। इस अवसर पर जिला कलक्टर कमर चौधरी, सीईओ जिला परिषद मृदुलसिंह सहित संबन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। डॉ. सुब्बाराव ने कहा कि कौशल विकास मंत्रालय द्वारा उत्तरप्रदेश के बागपत एवं राजस्थान के भरतपुर जिले को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित कर स्किल डवलपमेंट फॉर यू कार्यक्रम के तहत युवाओं के हुनर को निखार कर वर्तमान जरूरतों के अनुसार जॉबरोल के लिए तैयार किया जायेगा। उन्होंने बताया कि विकसित भारत 2047 तक युवाओं को कौशल विकास के क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिए वर्तमान जरूरतों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों, सेवा क्षेत्र एवं कृषि उद्यिमता के लिए कार्यक्रम चलाया जायेगा। उन्होंने सभी विभागों को स्थानीय उद्यिमता, सेवा क्षेत्र, कृषि, डेयरी, पर्यटन व हैल्थ सेक्टर में जॉब के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम की बृहद प्लानिंग तैयार करने के निर्देश दिए।

कौशल विकास मंत्रालय के एडवाईजर सेवानिवृत आईएएस डॉ. आईवी सुब्बाराव ने जिला प्रशासन के साथ बैठक की।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण अशोक कुमार सैनी पुत्र श्री कन्हैयालाल सैनी व भारती सैनी पत्नी अशोक कुमार सैनी निवासीगण गणेश नगर-4 देवदर्शन मंदिर के पास, बैनाड रोड जयपुर की आयन्दा पुत्री गरिमा सैनी दीगर के बहकावे में आकर मेरे अभिभाष्यगण की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाकर अपनी मनमर्जी से अमित मीणा पुत्र जुगलकिशोर मीणा से विवाह कर लिया है एवं उसका आचरण पूर्ववत नहीं है एवं परिवार की गरिमा को ठेस पहुंचाया जिसके कारण विवश होकर मेरे अभिभाष्यगण ने अपनी सम्पूर्ण चल एवं अचल सम्पत्ति एवं हमारे परिवार से इसका परित्याग कर इसे बेदखल कर दिया है। आज के बाद गरिमा सैनी को मेरे अभिभाष्यगण की सम्पूर्ण चल एवं अचल सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध किसी किस्म का नहीं रहेगा तथा भविष्य में इसके द्वारा किये गये कार्यों/गलतियों/अपराध/देनदारी/लेनदारी से मेरे अभिभाष्यगण व इसकी सम्पत्ति से कोई वास्ता या सम्बन्ध नहीं रहेगा जो भी कोई मेरे अभिभाष्यगण की पुत्री गरिमा सैनी से किसी भी प्रकार का लेन-देन, व्यवहार व सम्पत्ति सम्बन्धी कोई अन्तरण आदि करेगा उसके परिणामों का वह स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः सूचित रहे।
जयपुर — महेन्द्र कुमार कमल (एडवोकेट)
दिनांक-04.06.2026 — मो. 9982313201

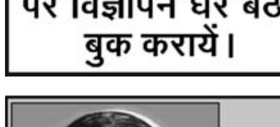
नम्बर मिलाइए 8890333139
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

तीये की बैठक

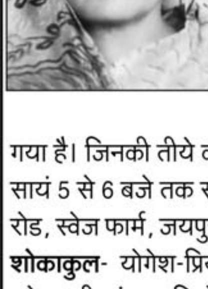

श्रीमती सरोज देवी
धर्मपत्नी स्व. श्री किशन लाल जी

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूज्य माताजी श्रीमती सरोज देवी धर्मपत्नी स्व. श्री किशन लाल जी का गोलोकवास दिनांक 03.06.2026 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 05.06.2026 (शुक्रवार) को सायं 5 से 6 बजे तक स्थान- ओम शिव मैरिज गार्डन MJRP कॉलेज रोड, स्वेज फार्म, जयपुर पर होगी।

शोकाकुल- योगेश-प्रियंका, रविन्द्र-पूजा (पुत्र एवं पुत्रवधू), रेखा-मुकेश जी, रंजना-त्रिलोक जी (पुत्री एवं दामाद), रघुनाथ, गिरधारी (जेठ), बाबूलाल (देवर), अनिल, राकेश, मुकेश, निरंजन, मनीष (भतीजे), कायरव, तनय, लावण्या (पौत्र-पौत्री) एवं समस्त चतुर्वेदी परिवार। शोकाकुल परिवार

नाम परिवर्तन

मैं सरदार मल डोगीवाल निवासी ग्राम कुली, तहसील दांतारामगढ सीकर, राजस्थान-332710 मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम सरदार मल डोगीवाल अंकित है मैंने अपना नाम बदलकर सरदार सिंह जाट रख लिया है। भविष्य में मुझे सभी निजी, सार्वजनिक अभिलेखों हेतु नये नाम सरदार सिंह जाट के नाम से जाना पहचाना जावें।

I have changed my name from Anish to Anish Jalewa for all purpose. R/o Flat No. A-301 star Pratishtha near Gail vihar sector-6 vidhyadhar nagar jaipur. (Raj.)

I, Anuradha Bhatt, wife of Sushil Kumar Pancholi, resident of Phulera, District Jaipur, declare by affidavit that my real name is Anuradha Bhatt. My husband's service record erroneously listed Anuradha Pancholi. Furthermore, my date of birth is listed as 21.08.1997, whereas my actual date of birth is 21.08.1985. In the future, I will be known only as Anuradha Bhatt.

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सुमित गौड़ एवं श्रीमती प्रीति गौड़, 42, पहला फ्लोर, खुशी विहार, पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान, दोनों का निधन क्रमशः दिनांक 24 नवम्बर 2014 एवं 18 सितंबर 2024 को हो चुका है।
यह भी सूचित किया जाता है कि मृतकगण के नाम से विभिन्न संपत्तियाँ एवं अधिकार स्थित हैं, जिनमें बैंक लॉकर, बैंक खाते, अचल संपत्ति, वाहन/कार, मशीनरी, तथा अन्य चल-अचल संपत्ति/हक-अधिकार शामिल हैं। उक्त समस्त संपत्तियों एवं अधिकारों के संबंध में मृतकगण के पुत्र श्री यशद गौड़ ही विधिक उत्तराधिकारी (Legal Heir) हैं तथा वही इन पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं।
अतः यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था, उत्तराधिकारी, बैंक, वित्तीय संस्था अथवा किसी अन्य पक्षकार को उपरोक्त संपत्तियों, खातों, लॉकर, वाहन, मशीनरी या अन्य किसी भी हक-अधिकार के संबंध में कोई आपत्ति, दावा, अधिकार, स्वामित्व या हित हो, तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के भीतर अपने समुचित लिखित आपत्ति/दावे के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा मृतकगण के पुत्र श्री यशद गौड़ विधिसम्मत कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

खोया पाया

मेरे आवास संख्या 120/17 अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर का मूल कब्जा पत्र गुम हो गया है जो कि RHB द्वारा रंजना नाग एवं अनिल नाग के नाम से जारी किया गया है कृपया मिलने पर सूचित करें-9810615895

मेरे प्लॉट नं. अविभाजित 2/3 हिस्सा, 13/206 में राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर की योजना मानसरोवर, जयपुर द्वारा आलोटमेन्ट लेटर, पजेशन लेटर, परपैक्युअल डीड कन्वैसडीड नौडूज खो गया है मिलने पर सूचित करें। मंजू सोनी-6367511893

हैतुक दर्शित करने के लिये सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्याक-4
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद जिला जयपुर राज.
गोपाल वगै. बनाम तहसीलदार वगै.

(1) गोपाल गुप्ता पुत्र रामकिशोर गुप्ता जाति महाजन निवासी मकान नम्बर 1018 रानी सती नगर वार्ड नम्बर 14 निर्माण नगर जयपुर जिला जयपुर राज.। (2) पुलकित सोनी पुत्र महेन्द्र सोनी जाति सोनी निवासी मकान नम्बर 16 नन्दविहार चन्द्रकलां स्ट्रीट 3 पंचशील एन्क्लेव रोड दुर्गापुरा जयपुर राज.। (3) मंगलचन्द पुत्र मोहनलाल कुमावत जाति कुमावत निवासी मकान नम्बर 40 अर्जुन नगर नार्थ अर्जुन नगर अंडरपास के पास गोपालपुरा लालकोठी जयपुर जिला जयपुर राज.। (4) रामकरण कसाना पुत्र रामचन्द्र कसाना जाति गुर्जर निवासी मकान नम्बर 34 उदयनगर ए गोपालपुरा बाईपास जयपुर जिला जयपुर राज.।
---प्रार्थीगण

बनाम

(1) मोसीना पत्नी इरफान जाति मुसलमान निवासी मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज.। (2) आरिफा पुत्री इरफान जाति मुसलमान निवासी मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज.। (3) मोहसिना पुत्री इरफान जाति मुसलमान निवासी मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज.। (4) हसीना बानो पुत्री इरफान जाति मुसलमान निवासी मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज.। (5) राजमल पुत्र रूगनाथ जाति खटीक निवासी मण्डी खटीकान दिल्ली रोड जयपुर जिला जयपुर राज.। (6) रोहित पुत्र रूगनाथ जाति खटीक निवासी मण्डी खटीकान दिल्ली रोड जयपुर जिला जयपुर राज.।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत करवाये जाने पत्थरगढी प्रार्थी की खातेदारी की प्रार्थना पत्र संख्या 13/26
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन पत्थरगढी करवाने हेतु पेश किया है।
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिये दिनांक 11 माह 6 सन् 26 को समय 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या अपनी प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एकपक्षीय रूप से किया जायेगा।
यह आज दिनांक 04.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।
दिनांक-4.6.26 — न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद (जयपुर)

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 74/2025
विषय- संरक्षक नियुक्त करने बाबत प्रार्थना पत्र।
प्रार्थी का नाम- रूची तोषनीवाल पत्नी स्व. केतन तोषनीवाल जाति महाजन विवाद स्थान- मकान नंबर 921 बाबा हरीशचन्द्र मार्ग तीसरा चौराहा चौकडी तोपखाना देश चांदपोल बाजार जयपुर मृतक केतन तोषनीवाल की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 04.07.2026
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम स्व. केतन तोषनीवाल पुत्र श्री कमल किशोर तोषनीवाल जाति महाजन निवासी यूनिट नं. 102 प्रथम मंजिल प्लाट नंबर 26-31 नरेन्द्र नगर स्वेज फार्म सोडाला का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में आवश्यक पुत्रिया का संरक्षक नियुक्त कर सम्पत्ति विक्रय करने की अनुमति प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 04 माह 07 सन् 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 02 माह 06 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।
आज्ञा से-न्यायाधीश
मोहर अदालत — पारिवारिक न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद शाहपुरा (जयपुर)
सं. 464 — दिनांक-04.06.2026

लोक सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है ने निम्नांकित भूमि के खातेदारो द्वारा उक्त भूमि को गैर कृषिक व्यवसायिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारो के निर्वापन के लए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात-

क्र.सं.-1, खातेदार/आवेदक का नाम- श्री गुल्ला राम यादव पुत्र श्री परता राम निवासी खोरी रोड, ढाणी दुर्गावाली, शाहपुरा तह शाहपुरा, **तहसील का नाम-** शाहपुरा, **राजस्व ग्राम-** बिदारा, **खसरा नं.-** 895/3, 895/8, **क्षेत्रफल-** 3730 वर्गमीटर व्यवसायिक प्रयोजन हेतु

इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 10 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षर के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक...... को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी, आयुक्त, नगर परिषद शाहपुरा, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-851 — दिनांक-13.05.2026

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 35/170 (EWS), (एरिया 42.32 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री बलवीर सिंह खाण्डेकर पुत्र स्व. श्री रामधन खाण्डेकर को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 2000 दिनांक 09.03.1999 को जारी किया गया। श्री मोहियुद्दीन असलम पुत्र स्व. श्री अहमद अली के पक्ष में उक्त आवास का नियमितिकरण पत्र क्रमांक 496/7378 दिनांक 15.02.2007 के द्वारा किया गया। श्री मोहियुद्दीन असलम के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 31.12.2013 को उप पंजीयक सांगानेर-द्वितीय, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री मोहियुद्दीन असलम द्वारा उक्त आवास को दिनांक 25.10.2019 के द्वारा श्री सउद आलम खान पुत्र श्री नाजीर अली खान को विक्रय कर सब रजिस्ट्रार जयपुर-पंचम के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्री सउद आलम खान द्वारा उक्त आवास को दिनांक 29.11.2025 के द्वारा श्री जाकिर हुसैन पुत्र श्री रमजानी खान को विक्रय कर उप पंजीयक-प्रथम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/क्रेती श्री जाकिर हुसैन पुत्र श्री रमजानी खान द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास में अपना नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बावत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री जाकिर हुसैन पुत्र श्री रमजानी खान का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज.आवा. मण्डल, जयपुर

कार्यालय आवासीय अभियंता
राज. आवासन मण्डल, खण्ड कोचिंग हब, जयपुर
(उपखण्ड दौसा)
1/68, खान भांकरी रोड दौसा (राज.)
(फोन नं. 01427-223875)
(Email Id: redausa.rhb@rajasthan.gov.in)
आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवास संख्या 1/494 स्काउट फील्ड योजना, सवाई माधोपुर, क्षेत्रफल 59.06 वर्ग मीटर का आवंटन श्री भूगडा मल पुत्र श्री दयामल के नाम आवंटन पत्र संख्या 11047 दिनांक 08.02.1987 जारी किया गया व मूल आवंटी को कब्जा दिनांक 25.02.1987 को संभलवा दिया गया। तत्पश्चात मूल आवंटी श्री भूगडा मल की दिनांक 12.03.2003 को मृत्यु हो जाने के पश्चात उत्तराधिकारी पुत्र श्री भगवान दास सिंधी पुत्र स्व. श्री भूगडा मल ने उक्त आवास का हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने हेतु निवेदन किया है।
अतः आवास संख्या 1/494 स्काउट फील्ड योजना, सवाई माधोपुर के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति/आक्षेप हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित उत्तराधिकारी श्री भगवान दास सिंधी पुत्र स्व. श्री भूगडा मल के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।
आवासीय अभियंता
राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-कोचिंग हब जयपुर

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किल श्रीमती गायत्री ममतेश वर्मा पत्नी श्री ममतेश वर्मा जाति हिन्दू निवासी 83 फर्स्ट फ्लोर, सुयोग्य अपार्टमेन्ट, पशुपतिनाथ, सांगानेर, जयपुर (राज.) एक अचल सम्पत्ति फ्लेट नम्बर एफ-1, फर्स्ट फ्लोर, सुयोग्य अपार्टमेन्ट, प्लाट नम्बर 83, पशुपतिनाथ, छक गैटोर, तहसील सांगानेर, जयपुर (राज.) जिसका निर्मित क्षेत्रफल 1063.33 वर्गफीट अर्थात 98.78 वर्गमीटर है जो कि उक्त फ्लेट नम्बर एफ-1, जिसका निर्मित क्षेत्रफल 1063.33 वर्गफीट अर्थात 98.78 वर्गमीटर है सर्वप्रथम श्री लोकेश अठावाल पुत्र श्री नरसीलाल अठावाल (भू स्वामी) एवं सुयोग्य बिल्डहोम प्राईवेट लिमिटेड जरिए निदेशक रौनक सिंघवी पुत्र श्री राजीव सिंघवी के द्वारा श्री ममतेश सिंह वर्मा पुत्र श्री रघुवीर सिंह वर्मा के हित में जरिए विक्रय पत्र दिनांकित 11.06.2012 के माध्यम से विक्रय किया गया उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर पंचम के यहां दिनांक 1.06.2012 को क्रम संख्या 2012397010305 पर पंजीबद्ध किया गया। तत्पश्चात श्री ममतेश सिंह वर्मा पुत्र श्री रघुवीर सिंह वर्मा का स्वर्गवास दिनांक 05.9.2016 को हो गया तथा श्री ममतेश सिंह वर्मा की माताजी श्रीमती चन्द्रा देवी पत्नी श्री रघुवीर सिंह वर्मा का स्वर्गवास दिनांक 06.03.1994 को हो चुका है इसलिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत श्रीमती गायत्री ममतेश वर्मा पत्नी श्री ममतेश सिंह वर्मा, श्री देवेश एम वर्मा पुत्र श्री ममतेश वर्मा तथा श्री शान्तम वर्मा पुत्र श्री ममतेश वर्मा प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी एवं वारिसान हुए इसके अतिरिक्त स्व. श्री ममतेश सिंह वर्मा पुत्र श्री रघुवीर सिंह वर्मा का अन्य कोई विधिक उत्तराधिकारी एवं वारिसान नहीं है जिसके कारण श्रीमती गायत्री ममतेश वर्मा पुत्र श्री रघुवीर सिंह वर्मा की उक्त अचल सम्पत्ति फ्लेट नम्बर एफ-1 जिसका निर्मित क्षेत्रफल 1063.33 वर्गफीट अर्थात 98.78 वर्गमीटर है के उक्त तीनो संयुक्त मालिक स्वामी एवं काबिज हुए. तत्पश्चात श्री देवेश एम वर्मा पुत्र स्व. श्री ममतेश वर्मा तथा श्री शान्तम वर्मा पुत्र स्व. श्री ममतेश वर्मा ने उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति में स्वयं के 1/3-1/3 अविभाजित हिस्से का हक त्याग स्वयं की माताजी अर्थात श्रीमती गायत्री ममतेश वर्मा पत्नी स्व. श्री ममतेश सिंह वर्मा के हित में हकत्याग पत्र दिनांकित 21.10.2024 निष्पादित करके हकत्याग कर दिया गया जो कि उक्त हकत्याग पत्र कार्यालय उप पंजीयक जयपुर पंचम के यहां दिनांक 22.10.2024 को क्रम संख्या 202403019113972 पर पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकार उक्त अचल सम्पत्ति सम्पूर्ण की एक मात्र मालिक स्वामी एवं काबिज श्रीमती गायत्री ममतेश वर्मा पत्नी स्व. श्री ममतेश सिंह वर्मा की हो गई उक्त श्रीमती गायत्री ममतेश वर्मा पत्नी स्व. श्री ममतेश सिंह वर्मा को अपनी निजी एवं जायज आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयो की आवश्यकता है इसलिए वह उक्त अचल सम्पत्ति को एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में बंधक कर ऋण प्राप्त करना चाहती है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति अथवा बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति या आक्षेप हो तो मय सबूत सात दिन की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित आपत्ति प्रस्तुत करे, अवधि समाप्ति के पश्चात आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा मेरी मुवक्किल के विरूद्ध शून्य व बेअसर मानी जावेगी।
(श्याम सुन्दर चावला) एडवोकेट
6/48, मालवीय नगर, जयपुर-302017 मोबाईल 9829218044

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 661/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि सुश्री कृष्णा सिंह, निवासी 185 नेमी नगर, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास शिक्षा निकेतन ट्रस्ट, 185 नेमी नगर, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 04.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 11.08.2026
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 624/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री मधु भट्ट तैलंग निवासी 118ए गैटोर रोड, ब्रह्मपुरी, श्री गोकुल मंजरी जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास संस्कार भारती राजस्थान सोसायटी जयपुर, स्वास्तिक भवन, अम्बावाडी सर्किल, अम्बाबाडी जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 19.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 24.07.2026
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति विशिष्ट श्रेणी
गंगापुर सिटी-322201 (जिला-सवाई माधोपुर) राजस्थान
क्रमांक:-कृ.उ.म.स./2026-27/22550766 — दिनांक:- 01.06.2026
आवंटन विज्ञप्ति संशोधन
कृषि उपज मण्डी समिति, गंगापुर सिटी के मुख्य मंडी प्रांगण में निर्मित 10 दुकानों हेतु द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरण के आवंटन हेतू जारी विज्ञप्ति क्रमांक 51-55 दिनांक 23.04.2026 के कॉलम संख्या 13 पर वर्णित **जैविक खेती करने वाले सीधी खरीद के अनुज्ञापत्रधारी कृषक उत्पादक संगठन क० के स्थान पर जैविक खेती उत्पादक कृषक** पढा जावे, साथ ही आवेदन प्राप्त करने एवं आवेदन जमा कराने की अंतिम दिनांक 18.06.2026 तक बढाई जाती है।
राज.संवाद/सी/26/4146 — सचिव

कार्यालय पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जयपुर
Email ID:bdo.jai.gov@gmail.com — Phone No. 01423-230025
क्रमांकः-पंसगो/लेखा/ई-निविदा/2026/70 — दिनांकः-03.06.2026
निविदा सूचना संख्या /2026-27
वित्तीय वर्ष 2026-27 में पंचायत समिति गोविन्दगढ़ व अधीनस्थ ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत कार्यों / सकर्म हेतु सक्षम श्रेणी में पंजीकृत प्रतिष्ठानों / संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण www.eproc.rajasthan.gov.in व sppp.rajasthan.gov.in से upload/download की व देखी जा सकती है।
NIB NO-PFA2627A0113 to PFA2627A0115 and PFA2627A0117 to PFA2627A0119
UBN NO-PFA2627GLRC00112, PFA2627WSOB00113 to 00114 and PFA2627WSOB00116 to PFA2627WSOB00118
विकास अधिकारी
पं.स.-गोविन्दगढ (जयपुर)

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर कार्यालय दूरभाष नं0 0141-2744283
फैक्स नं0 0141-2740568, ईमेल आईडी - rsscjaipur@gmail.com
क्रमांक :- एफ-9/खे. उ./2026-27/राजकाज — दिनांक :- 03/06/2026
निविदा संख्या 08/2026-27
राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर की ओर से निर्माता/अधिकृत विक्रेताओं से राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजी खेल उपकरण (कम्पाउंड) की आपूर्ति हेतु सील बन्द लिफाफों में एतद् द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर कार्यालय में दिनांक 03.06.2026 को प्रकाशित कर दिनांक 10.06.2026 को अपराह्न 1.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी तथा उसी दिन सायं 4.00 बजे उपस्थित निर्माता/अधिकृत विक्रेताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगीं। निविदा का सम्पूर्ण विवरण **http://sppp.rajasthan.gov.in & www.rssc.in** पर देखी जा सकती है। **UBN No.: RSC2627GSOB00011**
राज.संवाद/सी/26/4143 — सचिव

कार्यालय नगर निगम, भरतपुर
क्रमांक : न.नि.भ./स्कीम/2026-27/4651 — दिनांक : 29.05.2026
सार्वजनिक सूचना
सूरजमल नगर योजना भरतपुर के भूखण्ड संख्या 37 क्षेत्रफल 175.92 वर्गगज का आवासीय रूपान्तरण पट्टा विलेख क्रमांक 2425 दिनांक 18.12.2012 नगर सुधार न्यास, भरतपुर द्वारा श्री महेश चंद शर्मा पुत्र श्री रामखिलाड़ी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी - 37, सूरजमल नगर, भरतपुर के नाम जारी किया गया। श्री महेश चंद शर्मा पुत्र श्री रामखिलाड़ी शर्मा ने उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 06.04.2026 के द्वारा श्रीमती गिरजेश देवी पत्नी श्री हुकम सिंह एवं श्रीमती संगीता देवी पत्नी श्री हंसराज सिंह को विक्रय कर दिया। आवेदिकान् श्रीमती गिरजेश देवी पत्नी श्री हुकम सिंह एवं श्रीमती संगीता देवी पत्नी श्री हंसराज सिंह जातियान जाट निवासीयान-ग्राम पथैना तहसील वैर जिला भरतपुर उक्त भूखण्ड का नाम परिवर्तन कराना चाहती हैं।
भूखण्ड संख्या 37, सूरजमल नगर, भरतपुर का नाम परिवर्तन करने की कार्यवाही इस कार्यालय द्वारा की जानी है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर अवधि सात दिवस में कार्यालय नगर निगम, भरतपुर में अपनी आपत्ति दर्ज करावें अन्यथा गुजरने म्याद भूखण्ड संख्या 37, सूरजमल नगर, भरतपुर का नाम परिवर्तन करने की कार्यवाही कर दी जावेगी एवं कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
प्रभारी अधिकारी, स्कीम शाखा, नगर निगम, भरतपुर